


(5)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष राजस्व मण्डल महो. ग्वालियर की श्रृंखला
सागर संभाग (म.प्र.)

BOR.
राजस्व पुनरीक्षण क्र.
26 JUN 2014 दिनांक

R-2062-III/14



खरगराम बल्द कन्छेदी तिवारी सा.ग्राम सेमरा लोधी तह पथरिया
जिला दमोह (म.प्र.)

.....याचिकाकर्ता / पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

दुर्गावाई पति श्री शिवप्रसाद उपाध्याय सा. वार्ड क्र.15 मण्डी रोड
तहसील के पास पथरिया तह. पथरिया जिला दमोह (म.प्र.)

.....अनावेदिका / उत्तरार्थी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार पथरिया जिला दमोह के
राजस्व प्रकरण क्रमांक 20अ/ 27 वर्ष 12-13 पक्षकार दुर्गावाई बनाम
खरगराम में पारित अंतरित आदेश दिनांक 22/4/14 से पीडित व दुखीत
होकर अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण याचिका
प्रस्तुत करता है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य:-

माता सियावाई से मौजा सेमरालोधी हल्का नं.12 के पटवारी अभिलेख
में दर्ज भूमि ख.नं.31,32,39,30 / 476,208 / 1,304 रकवा 0.25,0.31,0.
20,0.71,0.02,0.05, कुल 6 किता थी जो वर्ष 2005-06 में संसोधित
पंजी क्र.4 के आदेश दिनांक 27.04.06 से प्राप्त हुई थी जिसमें बाद
आवेदक ने अपने खाते से वर्ष 10-11 में संसोधित पंजी क्र.1 द्वारा
अपने पुत्र कन्हैयालाल को एक हेक्टेयर भूमि दी थी जिसको
प्रमाणिकरण आदेश 06.12.10 हुआ था और संसोधित पंजी क्र.33 के
द्वारा रकवा 1.15 हेक्टे. भूमि पुत्र दीपक को दे दी थी। माँ के
स्वर्गवास के बाद पिता कन्छेदी ने स्वेच्छा से दिनांक 05.05.12 को

[Signature]

श्री खरगराम
सागर
न्यायालय ग्वालियर, सागर संभाग,
सागर (म.प्र.)
धारा प्रस्तुत.

श्रीमान् अध्यक्ष
27/6/14

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

5

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला- दमोह

प्रकरण क्रमांक 2062-तीन/2014

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि हस्ताक्षर
06-1-15 सागर कैम्प	आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत अनुपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री हिरदेश चक्रवर्ती उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को तीन बार पुकार लगवाई गई परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । बाद पुकार प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।	 प्रशासकीय सदस्य

श्री

श्री

२३/१५

१-७